पुनरीक्षण सिविल

न्यायधीश प्रेम चंद पंडित के समक्ष

शीओ राम,-याचिकाकर्ता.

बनाम.

चांदगी राम आदि,-प्रतिवादी.

सिविल पुनरीक्षण संख्या, 1971 का 99.

6 अप्रैल, 1971.

सिविल प्रक्रिया संहिता' (1908 का अधिनियम 5)–आदेश 23, नियम 1—वादी प्रतिवादी के साक्ष्य समाप्त होने के बाद खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए स्थगन की मांग कर रहा है–साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और इसके लिए नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमा वापस लेना का आवेदन दिया गया– क्या ऐसे आवेदन के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

यह निर्धारित किया गया कि, जहां एक वादी प्रतिवादी के साक्ष्य के समाप्त होने के बाद खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए स्थगन की मांग करता है, लेकिन ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के बजाय, वह कार्रवाई के समान कारण पर नया मुकदमा लाने की अनुमति के साथ मुकदमा वापस लेने के लिए आवेदन दायर करता है, तो उस आवेदन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि वादी अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है, आदेश 23, नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दायर करके कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ पुराने मुकदमे को वापिस लेने के लिए प्रार्थना करने के लिए उसके पास कोई आधार नहीं है। । सफल होने के लिए, वादी को अपना मामला संहिता के आदेश 23, नियम 1 के प्रावधानों के चार सिक्कों के भीतर लाना होगा। (पैरा 7).

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका, श्री आर.पी.बजाज, उप-न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, चरखी दादरी के 19 नवंबर, 1970 के आदेश में संशोधन के लिए, जिसमें वादी के मुकदमे को वापस लेने के आवेदन को उसी कारण से एक नया मुकदमा लाने की अनुमति दी गई थी।

आर. एस. मित्तल, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

नेमो, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

न्यायधीश पंडित.- यह ट्रायल जज द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ प्रतिवादी की पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें वादी के मुकदमे को वापस लेने के आवेदन को उसी कार्रवाई के कारण पर एक नया मुकदमा लाने की अनुमति दी गई थी।

(2) चंदगी ने इस घोषणा के लिए अपने भाइयों शेओ राम, मल्हा राम और सीस राम के खिलाफ मुकदमा लाया की वह 24 बीघे की कृषि भूमि और 10 बिस्वा, जो की गांव बडेसरा, जिला मोहिंदरगढ़ में स्थित है, का एकमात्र मालिक है और कि प्रतिवादियों का उक्त भूमि से कोई सरोकार या संबंध नहीं है और इसके अलावा राजस्व अधिकारियों द्वारा सभी भाइयों के पक्ष में समान शेयरों में किया गया उत्परिवर्तन गलत और कानून के खिलाफ है।

(3) मुकदमा नवंबर, 1969 में लाया गया था। वादी और प्रतिवादी दोनों ने अपने साक्ष्य बंद कर दिए थे और मामले में वादी के खंडन साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए 10 नवंबर, 1970 की तारीख तय की गई थी। उस तारीख को, वादी ने अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन को अगले दिन, यानी 11 नवंबर, 1970 को खारिज कर दिया गया। फिर वादी के खंडन साक्ष्य के लिए मामले को 12 नवंबर, 1970 को तय किया गया। उस तारीख को, वादी ने कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमा वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में केवल यह कहा गया था कि आवेदक एक अनपढ़ व्यक्ति था और इसलिए, वह अपने मुकदमे के सबूत में पर्याप्त सबूत नहीं दे सका। इसके अलावा, मुकदमे में कुछ तकनीकी खामियां थीं।

(4) आवेदन का प्रतिवादी श्यो राम ने विरोध किया। हालाँकि, इसे ट्रायल जज द्वारा 19 नवंबर, 1970 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था। इस आदेश के खिलाफ, श्यो राम द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

(5) इसके बावजूद सेवा में प्रतिवादियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

(6) मामले के रिकॉर्ड देखने के बाद, मेरा विचार है कि इस याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में कहा था:

“इस आवेदन की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वादी द्वारा अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए पहले आवेदन को इस न्यायालय द्वारा 11 नवंबर, 1970 को खारिज कर दिया गया था। उस आवेदन में, वादी ने प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में स्वीकारोक्ति दर्शाने वाला एक दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की थी। उस दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में नहीं लिया गया क्योंकि उस पर न तो भरोसा किया गया था और न ही दलीलों में इसका उल्लेख किया गया था। वादी के अनुसार, उक्त दस्तावेज़ उसके संज्ञान में देर से आया है। ये हालात; मेरे विचार में स्पष्ट रूप से वादी के पक्ष में मामला बनता है उसे कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण है। प्रतिवादी को हुई चोट की भरपाई लागत से की जा सकती है।"

(7) यह देखने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने वादी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, और उसे लागत के रूप में 20 रुपये के भुगतान पर कार्रवाई के समान कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति दी। सिर्फ इसलिए कि वादी ने अपने मामले के समर्थन में कुछ सबूत पेश नहीं किए, उसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1, के तहत कार्रवाई के समान कारण पर नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमा वापस लेने के लिए आवेदन दायर करने का कोई आधार नहीं मिलता, जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा हो। सफल होने के लिए, वादी को अपने मामले को आदेश 23, नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के चार कोनों के भीतर लाना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश ने उक्त प्रावधानों पर अपना दिमाग नहीं लगाया।

(8) तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है और विवादित आदेश रद्द कर दिया जाता है। चूंकि उत्तरदाताओं का मेरे सामने प्रतिनिधित्व नहीं है; लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा